

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करने या उस पर टिप्पणी जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों से अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत एक सरकारी कम्पनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाने हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई 2018 के दौरान की गई थी।

वर्ष 2018-19 के लिए उपर्युक्त कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई 2018 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद यथा शीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की

समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उक्त एजीएम में उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर दंड और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

इसके बावजूद, 30 सितम्बर 2019 तक विभिन्न सीपीएसई के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी पैराग्राफ में दिये गये हैं।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2019 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 480 सरकारी कम्पनियां तथा 182 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। वर्ष 2018-19 के लिए इनमें से 461 सरकारी कंपनियों और 182 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से लेखे देय थे। 19 सरकारी कंपनियों, जो कि नई थीं, के लेखे देय नहीं थे। 30 सितम्बर 2019 को या इससे पहले कुल 397 सरकारी कम्पनियों तथा 151 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 64 सरकारी कम्पनियों तथा 31 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं को प्रस्तुत करने के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

662 कम्पनियों में से 95 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

विवरण	सरकारी कम्पनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां						
	सरकारी कम्पनियां		सरकारद्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां		कुल		
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	
31.03.2019 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कुल कंपनियों की संख्या	480		182		662		
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	66	414	6	176	72	590	
कमी: नई कंपनियां जिनके लेखे 2018-19 के लिए देय नहीं थे।	0	19	0	0	0	19	
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे 2018-19 के लिए देय थे।	66	395	6	176	72	571	
30 सितम्बर 2019 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखा प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	66	331	6	145	72	476	
बकाया लेखाओं की संख्या	0	64	0	31	0	95	
बकाया के ब्यौरें	(i) परिसमापनाधीन	0	20	0	8	0	28
	(ii) समाप्त	0	2	0	5	0	7
	(iii) अन्य	0	42	0	18	0	60
'अन्य' श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2018-19)	0	21	0	8	0	29
	दो वर्ष (2017-18 और 2018-19)	0	8	0	3	0	11
	तीन वर्ष और अधिक	0	13	0	7	0	20

परिशिष्ट-II ए और परिशिष्ट-II बी में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छ: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पाँच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लेखे 30 सितम्बर 2019 से पूर्व प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखें 30 सितम्बर 2019 को प्रतीक्षित थे। सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के मामले में, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है तथा लेखे समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है:

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।


कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013

की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई हैं, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत एजीएम के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

2.4.3.1 चयनित सरकारी कंपनियों में तीन चरणीय लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को अपनाना

चूँकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता अर्थात् पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न शेयर धारकों के लिए उपयोगिता में वृद्धि में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने “तीन चरणीय लेखापरीक्षा की प्रणाली” शुरू की। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नए लेखापरीक्षा अभिगम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए ‘सूचीबद्ध’, ‘नवरत्न’, ‘मिनीरत्न’ और ‘सांविधिक निगमों’ की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले चयनित सीपीएसई में लागू किया गया था:



- सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के मध्य प्रभावी संप्रेषण और समन्वित अभिगम स्थापित करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उल्लेख करना और सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

तीन चरण लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के विस्तारित प्रावधान है। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रारंभिक अभ्युक्तियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत उप-निर्देशों के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2018-19 के लिए 397 सरकारी कम्पनियों (66 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 151 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों (6 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा 04 सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 300 सरकारी कम्पनियों और 142 सरकार द्वारा नियंत्रित कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सीएजीने वर्ष 2018-19 के लिए 442 कम्पनियों और 4 सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।


कुछ मिलाकर सीएजी ने 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त लेखाओं में से 76 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 94 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.5.1.1 तीन चरणीय लेखापरीक्षा का परिणाम

86 सीपीएसई (परिशिष्ट XVII) में की गई तीन चरण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए थे, जिसके कारण इनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2018-19 के लिए इन सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव



सीपीएसई जहां मुख्य मूल्य वर्धन किया गया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड
2.	सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड
3.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
4.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
5.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9.	एनएचपीसी लिमिटेड
10.	नॉर्डर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
11.	एनटीपीसी लिमिटेड
12.	आयल और नेचुरल गैस निगम लिमिटेड
13.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
14.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
15.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.1.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एपीआईटीसीओ लिमिटेड, एक सरकारी कंपनी ने वार्षिक सामान्य बैठक में उक्त रखने से पहले वित्तीय विवरण को संशोधित किया था।

2.5.1.3 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 34 सरकारी कंपनियां और 12 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि परिशिष्ट XVIII में वर्णित है, के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को रखने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.4 सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी ने चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सीपीएसई की सूची, जिनके संबंध में टिप्पणियों जारी की गई, परिशिष्ट XIX में दी गई है। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका लाभ प्रदत्ता पर वित्तीय प्रभाव ₹ 2633.93 करोड़ और परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹7068.01 करोड़ था, को नीचे तालिका बद्ध किया गया है:

सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	बीईएमएल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को टाट्टा ट्रकों की आपूर्ति में देरी के लिए निर्णीत हर्जानों का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹18.79 करोड़ से व्यापार प्राप्तियों और लाभ को अधिक बताया गया।
2.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> भारत सेवा निर्यात योजना के तहत भारत सरकार से ₹ 339.22 करोड़ की प्राप्त अनुदान राशि को अन्य आय के रूप में उसे दर्शाने के बजाय अन्य परिचालन आय के तहत दिखाया गया था जो लेखांकन मानक 20 के अनुपालन में नहीं था।
3.	आईएफसीआई लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के निर्णय और संकल्प योजना के अनुसार कंपनी द्वारा संपर्क किया गया था, जिससे मैसर्स रेनबो पेपर्स लिमिटेड और मैसर्स आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रति ₹592.34 करोड़ के कंपनी के दावे को ₹190.79 करोड़ तक

		<p>सीमित किया गया था। जबकि कंपनी द्वारा ₹401.55 करोड़ के बकाया शेष को बढ़े खाते में डाल दिया था, ₹43.28 करोड़ के उपचित ब्याज को अंतिम निपटान के बजाय मूल राशि के रूप में ₹190.79 करोड़ की निपटान राशि को ध्यान में रखकर लेखांकित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹43.28 करोड़ ब्याज आय और बकाया ऋण को अधिक बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इन कंपनियों के साथ किए गए एक मुश्त निपटानों के अनुसार मैसर्स एसईडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और मैसर्स एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से वसूली योग्य ₹89.60 करोड़ की बकाया राशि के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप ₹23.18 करोड़ तक अधिक ऋण बताया और ₹35.42 करोड़ तक भत्तों के नुकसान को अधिक बताया है, फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि को ₹23.18 करोड़ तक कम बताया गया। • आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड को दिए गए ₹ 29.77 करोड़ की बकाया ऋण राशि की सम्पूर्ण राशि के गैर प्रावधान की राशि कम है, जिसके लिए प्रतिभूत उपलब्ध थी, परिणामस्वरूप ₹11.78 करोड़ तक के ऋण को अधिक बताया और ₹17.99 करोड़ तक के भत्तों के नुकसान को अधिक बताया गया। फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि को ₹11.78 करोड़ तक कम बताया गया था। • मैसर्स आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड (एएमएल) से ₹164.02 करोड़ के कुल बकाया के प्रति, ऋण लेने की संकल्प योजना के तहत निजी पार्टियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के अनुसार अधिकतम प्राप्य राशि ₹33.60 करोड़ थी। उपरोक्त को देखते हुए, कंपनी को ₹130.42 करोड़को बढ़े खाते में डालने चाहिए और एएमएल से बकाया निवल ऋण के रूप में ₹13.29 करोड़ (₹33.60 करोड़ - ₹20.31 करोड़) दिखाना चाहिए था। उसी के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप ₹51.58 करोड़ तक के अधिक ऋण बताया और ₹78.84 करोड़ तक के भत्ते के नुकसान को अधिक बताया गया है। फलस्वरूप वर्ष हेतु हानि को ₹51.58 करोड़ से कम बताया गया था। • गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को चरण III ऋण के रूप में प्रदान किए गए ₹24.96 करोड़ के ऋण का वर्गीकरण और उपलब्ध प्रतिभूति की राशि से कम संपूर्ण ऋण हेतु प्रदान करने के बजाय आंशिक प्रावधान करने के परिणामस्वरूप ₹9.59 करोड़ तक के ऋण को अधिक बताया और ₹14.67 करोड़ से भत्ते के नुकसान को अधिक बताया गया है। फलस्वरूप, वर्ष हेतु हानि को ₹9.59 करोड़ से कम बताया गया था।
4.	द जनरल इंश्यूरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण)	<p>कंपनी ने निवेश के मूल्य हाज के प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) के असुरक्षित अपरिवर्तनीय डिबेंचरस (एनसीडीस) में 100 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सुरक्षित एनसीडीस का निवेश होने के कारण ₹ 436.91 करोड़ का प्रावधान किया। लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकटीकरण किया गया था कि जो प्रावधान किए गए थे, वह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बीमा कंपनियों के लिए</p>

		लागू भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा जारी किए गए आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान से उच्च थे। हालांकि, नेशनल कंपनी लॉअपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के समक्ष कार्यवाही (11 फरवरी 2019) के अनुसार, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थे, दो आईएलएंडएफएस संस्थाओं को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ था कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर्स के लिए अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को उपरोक्त निवेशों के मूल्यहास के प्रतिपूर्ण प्रावधान करना चाहिए। इन कम प्रावधान के परिणामस्वरूप निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को ₹ कम और ₹ 351.89 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया।
5.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंड अलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> खराब और संदेहस्पद ऋणों के लिए रिजर्व में ₹71.38 करोड़ अनुरक्षित निवेशों के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान और आईएलएंडएफएस और इसके समूह की कंपनियों में ₹ 10 प्रतिशत सुरक्षित निवेश के लिए प्रावधान शामिल है, जिसमें कुल निवेश ₹128.24 करोड़ है। हालांकि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के अनुसार आईएलएंडएफएस को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ था कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति अपने भुगतान दायित्वों के पूरा नहीं कर सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 10 प्रतिशत के बजाय आईएल एंड एफएस के सुरक्षित निवेश में ₹15 करोड़ के निवेश पर पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को कम और ₹13.50 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपनी अधिकृत पूंजी को ₹800 करोड़ से ₹10,000 करोड़ तक वृद्धि की जो कंपनी के एजीएम में लिए गए निर्णय के विपरीत था।

प्रकटन पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	बीईएमएल लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> 1 अप्रैल 2018 से इंड एएस 115 को अपनाने पर इंड एएस 8 के अनुसार प्रकटन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंड- अलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों के तहत ₹1044.03 करोड़ की राशि शामिल की गई थी, जो वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए भारत सेवा निर्यात योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त लाभों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भारत सरकार के परीक्षणाधीन थी। इस तथ्य को लेखाओं की टिप्पणियों में कंपनी द्वारा सही ढंग से प्रकट नहीं किया गया था।
3.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> भले ही वर्ष के दौरान, लेखांकन नीति को इमारत की प्रमुख संरचनात्मक मरम्मत जैसे पूंजीगत मरम्मत के शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, इंड एस 8 के तहत अपेक्षित प्रकटन नहीं किए गए थे। चालू वर्ष की आय और व्यय के रूप में पिछली सेवाओं से संबंधित आय और व्यय का विचार करने के लिए टर्नओवर की भौतिकता सीमा 0.5 प्रतिशत में 1 प्रतिशत तक के संशोधन से संबंधित भौतिक परिवर्तन का प्रकटन नहीं किया गया था। ओवरहेड्स को कुछ इकाइयों में पूंजीगत कार्य में प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) की प्रतिशतता के आधार पर वसूल किया गया था जो लेखांकन नीति के विपरीत था जिसमें कहा गया था कि इसे वास्तविक आधार पर वसूल किया जा रहा था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	आईएफसीआई लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी द्वारा अनुरक्षित अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर में विभिन्न परिसंपत्तियों जैसे कि फ्लैट्स, पेंटिंग्स और भूमि आदि की स्थिति/मात्रा का विवरण नहीं था, जिसे कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) नियमावली 2016 के खंड 3 (i) के तहत यथापेक्षित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा उजागर नहीं किया गया था। भले ही अचल परिसंपत्तियों की भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट में परिसंपत्तियों के बीच तुलना प्रदान नहीं की गई, जैसाकि अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर में दिखाई गई तुलना में भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया जा रहा था और कोई सामग्री विसंगतियां नहीं देखी गई थी।
2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत रिपोर्ट, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
3.	द जनरल इंश्यूरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र शामिल नहीं किया गया था कि पॉलिसी धारक की निधियों की परिसंपत्ति का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिसी धारक की निधियों का उपयोग और निवेश से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के उल्लंघन में लागू नहीं

		<p>किया गया था, जो आईआरडीएआई के विनियमों के विपरीत था।</p> <ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में निवेश किया यद्यपि ऐसा निवेश बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 27ए (4) के तहत प्रतिबंधित था। इनमें ₹45.56 करोड़ (टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में नियत ब्याज बॉण्ड में ₹45 करोड़, छतर केमिकल्स के एनसीडी में ₹0.11 करोड़, अताश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनसीडी में ₹0.33 करोड़ और इलेक्ट्रा (इंडिया) लिमिटेड के एनसीडी में ₹0.12 करोड़) का निवेश शामिल किया गया है; इसे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था।
--	--	---

असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> वित्त लागत में अनुमान के आधार पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को देय विलम्ब भुगतान पर ब्याज के लिए ₹126.96 करोड़ की राशि शामिल की गई, जिसके बाद में डूड-अप किया जाएगा। परिचालनों से राजस्व को कम बताया गया और गैर-समावेश के कारण ₹78.03 लाख की हानि को अधिक बताया गया: अप्रैल और मई 2019 के दौरान कंपनी के एक प्रभाग, शेफेयर फ्लाइट कैटरिंग द्वारा निर्धारित 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 38.40 लाख के राजस्व अन्तर को निर्धारित किया गया। अक्टूबर 2018 में मई 2017 से अपने होटल की छत पर दो मोबाइल टावरों की स्थापना के नवीनीकरण के कारण ₹ 39.60 लाख तक की राशि मई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए प्राप्य बकाया है। ₹ 8.23 करोड़ की राशि को कंपनी की सिफारिश (नवम्बर 2018) पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (जुलाई 2019) मजदूरी संशोधन के आधार पर यूनियन कर्मचारियों को देय बकाया को चालू वर्ष व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंड एस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष हेतु व्ययों और हानि को ₹ 8.23 करोड़ तक कम बताया। 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 5.55 करोड़ की राशि का भुगतान किए गए विलासिता कर पर ब्याज को चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंडएस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 5.55 करोड़ तक वित्त लागत और हानि को कम बताया गया।

		<ul style="list-style-type: none"> अप्रैल 2008 या उसके बाद जाँड़न किए गए कैडेट पायलटों सहित पायलटों से प्रशिक्षण की लागत को वसूली योग्य नहीं दिखाया गया था।
2.	आन्ध्र प्रदेश सोलर पॉवर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सोलर पार्कों के विकास के लिए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को इसके द्वारा किए गए कुल निवेश का एक प्रतिशत के हस्तांतरण का प्रावधान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.16 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया और उसी राशि से देनदारियों को कम बताया गया।
3.	बोकरों पॉवर सप्लाय कंपनी (पी) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से वसूली योग्य अन्य परिसंपत्तियों के तहत दर्शाई गई ₹6.18 करोड़ की राशि का गैर प्रावधान, इसके द्वारा विवादित होने के बावजूद, के परिणामस्वरूप ₹ 6.18 करोड़ तक की मौजूदा परिसंपत्ति और लाभ को अधिक बताया गया है। सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए राख के परिवहन के लिए ₹ 53.16 करोड़ की अनुमानित लागत का प्रावधान नहीं होने के परिणामस्वरूप व्यय को कम बताया गया और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया। इसके अलावा, 15.04 लाख एम³ राख के परिवहन के लिए कोई प्रावधान कंपनी द्वारा नहीं किया गया था। राख का निपटान नहीं करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देय ₹ 1.03 करोड़ की शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके कारण व्यय का कम और उसी राशि से लाभ को अधिक बताया गया था।
4.	ब्रॉडकास्ट इंजीनिरिंग कंसल्टन्ट्स इंडिया लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> भले ही प्रसार भारती से सात साल के अधिक समय के स्वीकृति और वसूली के लिए ₹ 9.21 करोड़ की राशि लंबित थी लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था जो लेखांकन नीति के अनुपालन में नहीं था। व्यापार प्राप्य में 22 पार्टियों से वसूली योग्य बकायों के लिए ₹ 5.05 करोड़ की राशि शामिल थी जो पांच वर्षों से अधिक के लिए वसूली हेतु लंबित थी। हालांकि, लेखांकन नीति के विपरीत, इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पट्टेदारों द्वारा विलम्बित भुगतानों के लिए ब्याज के रूप में वर्ष 2014-15 के दौरान एकत्र किए गए ₹ 6.19 करोड़ में से ₹ 0.93 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया था और ₹ 0.48 करोड़ की राशि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एमओयू या अनुमोदन में बिना किसी प्रावधान के कानूनी प्रभारों के लिए किए गए व्यय के लिए समायोजित किया गया था। इसके कारण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देय राशि के साथ-साथ हानि को ₹ 1.41 करोड़ तक कम बताया गया था। 31 मार्च 2018 तक किराये के प्रभारों के लिए ₹ 24.43 करोड़ की राशि पर ब्याज के लिए देयता जो पट्टेदारों से एकत्र की गई

		थी लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रेषित करने के लिए प्रदान नहीं की गई थी।
5.	ईसीजीसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आईएलएंडएफएस के सुरक्षित एनसीडी में ₹ 105 करोड़ के निवेश पर, कंपनी ने निवेश के मूल्य की 25 प्रतिशत की कमी के लिए ₹ 26.25 करोड़ का प्रावधान किया गया। लेखाओं पर टिप्पणियों में भी प्रकटीकरण किया गया था कि जो प्रावधान किया गया था वह आरबीआई और बीमा कंपनियों के लिए लागू आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए आय मान्यता, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान से उच्च था। हालांकि, दिनांक 11 फरवरी 2019 को एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के अनुसार, आईएल एंड एफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा कंपनी को 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था जिसका अर्थ है कि संस्था वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को उपरोक्त निवेश के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान करने चाहिए। इन कम प्रावधान के परिणामस्वरूप निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान कम बताए और ₹78.75 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया गया है।
6.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> ₹30.81 करोड़ के बकाया भुगतान पर ₹13.12 करोड़ के ब्याज का गैर-प्रावधान होने से प्रतिभूति की लागत के परिणामस्वरूप ₹13.12 करोड़ तक के व्यय और हानि को कम बताया गया। बकाया ग्रेच्युटी पर कर्मचारी को देय ब्याज के लिए ₹3.32 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹3.32 करोड़ तक के व्ययों और नुकसान को कम बताया गया है।
7.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के लिए आय के साथ-साथ लाभ को पूर्व अवधि आय के रूप में पहले के वर्षों से संबंधित त्रुटि के लेखांकन के कारण ₹2.27 करोड़ तक अधिक बताया गया था जो इंड एस 8 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
8.	एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्विस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> बड़े खाते में डाले गए व्यापार प्राप्त के कारण ₹ 69.52 लाख की राशि को व्ययों में शामिल किया जो एचएलएल मद्र एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल लिमिटेड (एचएमसी) से देय थे। इस राशि को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के एचएमसी के विलय और नकारात्मक नेटवर्थ के कारण अपने बकाया के निपटान की एचएमसी की अक्षमता के कारण बड़े खाते में डाल दिया गया था। हालांकि, विलय व्यवस्था के अनुसार, एचएमसी की परिसंपत्तियां और देनदारियों को एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को हस्तांतरित करनी थी जो सकारात्मक नेटवर्थ के साथ एक गोइंग कंसर्न थी। कंपनी ने बकायो की वसूली की संभावना की जांच और तलाशी के बिना राशि को बड़े खाते में डालने के निर्णय के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को अधिक बताया और चालू परिसंपत्तियों और लाभ को ₹ 69.52 लाख की राशि तक कम बताया गया।

9.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> परिचालन से राजस्व को कम बताया गया था और गैर-समावेशन के कारण ₹ 78.03 लाख की राशि के नुकसान को अधिक बताया गया था: अप्रैल और मई 2019 के दौरान कंपनी के एक प्रभाग शेफेयर फ्लाइट कैटरिंग द्वारा निर्धारित की गई 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 38.44 लाख के अंतर-राजस्व। अक्टूबर 2018 में मई 2017 से अपने होटल की छत पर दो मोबाइल टावरों के संस्थापन के नवीकरण के कारण ₹ 39.60 लाख की राशि मई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए प्राप्य बकाया। ₹ 8.23 करोड़ की राशि को कंपनी की सिफारिश (नवम्बर 2018) पर नागरिक उद्ययन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (जुलाई 2019) मजदूरी संशोधन के आधार पर यूनियन कर्मचारियों को देय बकाया को चालू वर्ष व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंड एस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप व्ययों और वर्ष के लिए हानि को ₹ 8.23 करोड़ तक कम बताया गया है। 2010-11 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 5.55 करोड़ की राशि का भुगतान किए गए विलासिता कर पर ब्याज को चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में निर्धारित किया गया था जो इंडएस 8 के अनुरूप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 5.55 करोड़ तक वित्त लागत और हानि को कम बताया गया है।
10.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार और फ्रेजर सूट इकाई (सेवा अपार्टमेंट और आवास एवं रेस्तरा सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित) में धारित परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यहास/ परिशोधन के गैर-प्रभार के कारण ₹ 2.98 करोड़ तक के मूल्यहास और परिशोधन को कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹ 0.56 करोड़ तक के लाभ और ₹ 2.42 करोड़ तक के रिजर्व और अधिशेष को अधिक बताया गया। आय को कम बताया गया था और अन्य मौजूदा देनदारियों को दो प्लॉटों के प्रतिफल से कटौती की जाने वाली राशि के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 75 लाख तक अधिक बतायी गई, जिनकी बिक्री क्रेता के अनुरोध पर रद्द कर दी गई थी।
11.	इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कैवर्नस के परिचालन और रखरखाव पर ₹ 78.21 करोड़ का व्यय हुआ जो भारत सरकार से वसूली योग्य था और भारत सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 58.95 करोड़ की वसूली को कंपनी की बहियों में दर्ज नहीं किया गया था। सिर्फ ₹ 19.26 करोड़ की शेष राशि को भारत सरकार से प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था। व्यवहार कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोशियशन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इस मुद्दों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

		टिप्पणी भी की गई थी, हालांकि सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
12.	इरकॉन देवनगरी हैवेरी हाइवे लिमिटेड	अन्य आय में एस्करो लेखा पर अर्जित ₹ 3.26 करोड़ का ब्याज और निर्माण अवधि के दौरान मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल था, जिसे अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में क्रेडिट क्या जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.26 करोड़ तक कर से पहले लाभ को अधिक बताया गया और उसी राशि से अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया।
13.	इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निर्माण ठेका से राजस्व प्राप्त होने के कारण ₹ 338.17 करोड़ की राशि को परिचालन राजस्व के अर्न्तगत प्रकट करने के बजाय अन्य परिचालन राजस्व रूप में बताया गया था जो इंडस 115 के अनुसार नहीं था।
14.	कर्नाटक सॉलर पावर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सॉलर पार्को के विकास के लिए दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को इसके द्वारा किए गए कुल निवेश का एक प्रतिशत हस्तांतरित करने का प्रावधान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया और उसी राशि द्वारा देनदारियों को कम बताया गया।
15.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> दूरदर्शन से वसूली योग्य ₹4.68 करोड़ की राशि की व्यापार प्राप्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था यद्यपि वसूली चार वर्ष से अधिक समय से लंबित थी और इस पर विवाद चल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ और उसी राशि तक व्यापार की प्राप्तियों को अधिक बताया गया है।
16.	नेशनलइंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस लिमिटेड और आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड की सुरक्षित एनसीडी में ₹ 209.09 करोड़ रखे हैं। इन दोनों कंपनियों ने मूलधन के साथ-साथ ब्याज के भुगतान में चूक की हैं। कंपनी ने निवेश के बुक मूल्य के लिए ₹ 31.36 करोड़ (15 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया। एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही के अनुसार, इन दोनों कंपनियों को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ था कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटों के लिए अपने भुगतान दायित्वों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, पूरे निवेश के लिए प्रदान किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 177.73 करोड़ तक केसंदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को कम बताया गया और इसके फलस्वरूप उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया। 2018-19 के दौरान ठेकेदार द्वारा प्रदत्त विभिन्न आईटी संबंधित सेवाओं के लिए ₹ 17.22 करोड़ का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप विविध लेनदारों को कम बताया

		<p>गया था और वर्ष के लिए उसी राशि तक वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने अनंतिम सीडिंग कमीशन अर्थात् पुनर्बीमा संधि के तहत ₹ 1230 करोड़ के कुल सीडिंग प्रीमियम के 5 प्रतिशत के तौर पर ₹61.50 करोड़ निर्धारित किए थे भले ही कमीशन सहित अंतिम निपटान को 31 मार्च 2024 तक के नुकसान अनुपात के आधार पर गणना की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप विविध कमीशन (नेट) को कम बताया गया और ₹61.50 करोड़ से वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया। <p>चूँकि स्वास्थ्य साथी योजना के तहत दावा अनुपात 80 प्रतिशत से कम था, इसलिए कंपनी ने योजना की शर्तों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को ₹ 194.43 करोड़ का प्रीमियम वापस करना था। रिफंड करते समय, ₹ 22.93 करोड़ की राशि को कंपनी द्वारा एक और स्वास्थ्य योजना अर्थात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के तहत प्राप्य प्रीमियम के प्रति समायोजित किया गया था जिसका सरकार द्वारा विरोध किया गया था। चूँकि दोनों योजनाएं अलग-अलग थीं और आरएसबीवाई योजना के प्रति प्रीमियम प्राप्य करने वाली पहले ही 5 वर्ष से अधिक पुरानी थी और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इसे अभिस्वीकृति/स्वीकार नहीं किया गया था जिसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए थे, इसके समायोजन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य साथी योजना के तहत देय राशि, आरएसबीवाई के तहत प्रीमियम प्राप्य, आरएसबीवाई के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और वर्ष के लिए ₹ 22.93 करोड़ तक की हानि को कम बताया गया।</p>
17.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> छह वर्षों से अधिक के लिए सरकारी पार्टियों का बकाया और तीन वर्षों से अधिक के लिए निजी पार्टियों के बकाया की प्राप्त होने वाली ₹ 2.05 करोड़ की राशि का गैर-प्रावधान लेखांकन नीति के विपरीत था और इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और उसी राशि तक लाभ को अधिक बताया गया।
18.	नॉर्थ ईस्टर्न हैण्ड्री, क्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (2017-2018)	<ul style="list-style-type: none"> मौजूदा देनदारियों और कर्मचारी लाभ लागतों को कम बताया गया था और कर्मचारियों को देय ग्रेज्युटी के कारण योगदान के संबंध में कम प्रावधान होने के कारण ₹ 33.14 लाख तक लाभ को अधिक बताया गया था।
19.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> मौजूदा देनदारियों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹284.68 करोड़ के प्रीमियम का किसानों के भाग के चार प्रतिशत की दर से बैंकों को देय सेवा शुल्क के रूप में ₹ 11.25 करोड़ को शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.25 करोड़ से नुकसान का कम बताया गया तदनुसार मौजूदा देनदारी को कम बताया गया। कंपनी ने आईएलएंडएफएस लिमिटेड और आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सर्विस लिमिटेड के सुरक्षित एनसीडी में ₹ 298.04 करोड़ और असुरक्षित एनसीडी में ₹ 60.24 करोड़ रखे हैं। इन एनसीडी पर पहली बार सितम्बर 2018 में ब्याज और जनवरी

		<p>2019 में मूलधन के भुगतान में चूक हुई थी (कुल चूक-मूलधन ₹ 10.00 करोड़ और जून 2019 तक ब्याज ₹ 19.49 करोड़)। कंपनी ने निवेश को उप-मानक के रूप में माना और असुरक्षित एनसीडी में निवेश की कुल राशि ₹ 60.24 करोड़ होने के कारण और सुरक्षित एनसीडी में निवेशित राशि का 10 प्रतिशत होने के कारण ₹ 29.80 करोड़ प्रावधान किया गया।</p> <p>हालांकि, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध एनसीएलएटी के समक्ष की कार्यवाही के अनुसार, इन दोनों कंपनियों को आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नये निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया था, जिसका अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटों के लिए भी अपनी भुगतान देयताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा, इन कंपनियों की निवेश रेटिंग आईसीआरए और सीएआरई द्वारा सबसे नीचे के स्तर 'डी' तक अधोमुखी कर दी थी जिसका अर्थ है कि इस रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट डिफॉल्ट थे या इनके जल्द ही डिफॉल्ट होनेकी उम्मीद थी।</p> <p>उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 358.28 करोड़ का संपूर्ण निवेश प्रावधान किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 268.24 करोड़ तक के संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को कम बताया गया और उसी सीमा तक नुकसान को कम बताया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने पीएमएफबीवाई के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार महालनोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेन्टर (एमएनसीएफसी) से क्षेत्र विसंगति डेटा के बजाय पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य सरकार के डेटा लेने से क्षेत्र सुधार कारक⁴¹ (एसीएफ) के उपयोग के कारण खरीफ 2018 के लिए महाराष्ट्र के बीड जिले में सोयाबीन फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ₹ 71.26 करोड़ के दावे और ₹ 28.02 के प्रीमियम प्राप्त का गलती से उल्ट दिया, जो प्रतीक्षित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.02 करोड़ तक की आय और ₹ 71.26 करोड़ तक की मौजूदा देनदारियों को कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, वर्ष के लिए नुकसान को ₹ 43.24 करोड़ तक कम बताया गया था।
20.	पीईसी लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> • किसी भी लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में बिना दावों की देयता के पुनरांकन करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.86 करोड़ तक कुल व्यापक आय के नकारात्मक शेष को कम बताया गया।
21.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने पिछले वर्ष अर्थात् 2017-18 से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए)/आस्थगित कर देयता (डीटीएल) की त्रुटि को सुधारते हुए गलती से ₹ 4.76 करोड़ की राशि की भूमि की कीमत को शामिल किया गया, यद्यपि यह एक गैर-मूल्यहास

⁴¹ एरिया करेक्शन फैक्टर को एक दिए गए इकाई क्षेत्र के लिए बीमित क्षेत्र द्वारा बोए गए क्षेत्र से विभाजित करके और इसे कम रखने के लिए दावा राशि पर लागू करके पहुँचा गया है। परिणामस्वरूप, एक इकाई क्षेत्र में सभी किसानों के दावों को समान रूप से बताया जाता है।

		<p>परिसंपत्ति, आयकर अधिनियम के अनुसार परिसंपत्तियों की लिखित मूल्य में है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए डीटीएल को कम बताया गया। फलस्वरूप, इसके परिणामतः डीटीए और वर्ष 2017-18 के लिए लाभ को ₹ 1.64 करोड़ ⁴² तक कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ₹ 5.98 करोड़ के अचल सामान के लिए प्रावधान, ₹ 5.32 करोड़ की अनुकम्पा नियुक्तियों के बदले मुआवजे का प्रावधान, ₹ 3.88 करोड़ के अनुग्रहपूर्वक व बोनस राशि के लिए प्रावधान और अन्य कर्मचारियों को ₹ 32.38 करोड़ के अल्पकालिक प्रावधान का लाभ, समय भिन्नता मदों के रूप में माना गया था और पिछले वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्वोक्त मदों पर डीटीए सृजित किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, इनको डीटीए के लिए सृजन के लिए समय भिन्नता के रूप में नहीं माना गया था। हालांकि, डीटीए पिछले वर्ष के दौरान इन मदों पर पहले ही बनाया गया जो एक लेखांकन त्रुटि थी, जिसे पलटा नहीं गया था जो इंड एस 8 का उल्लंघन था और जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए डीटीए के साथ-साथ ₹ 16.46 ⁴³ करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया था। • समापन स्टॉक में अन्तः इकाई बिक्री के लाभ मार्जिन को शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए समान के साथ-साथ ₹ 5.59 करोड़ तक के लाभ को अधिक बताया गया था।
22.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड को भूमि की बिक्री से प्राप्त लाभ का लेखांकन नहीं होने के कारण ₹ 55.23 करोड़ तक की असाधारण मदों को कम बताया गया था। इसे भारत सरकार को देय राशि के तौर पर गलत तरीके से दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.02 करोड़ के कर से पहले लाभ के बजाय ₹ 17.21 करोड़ के कर से पहले नुकसान का गलत खुलासा हुआ और इसके परिणामस्वरूप भी ₹ 55.23 करोड़ तक की अन्य मौजूदा देनदारियों को भी अधिक बताया गया। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों से सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रतिबिंबित नहीं होता है और यह सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप भी नहीं था। • उपर्युक्त प्राप्त किए ₹ 55.23 करोड़ की राशि को भारत सरकार के ऋण और ₹ 467.07 करोड़ की राशि के ब्याज को चुकाने पर आयकर के भुगतान के लिए उपयोग किया गया था जो 2016-17 के दौरान पूंजीगत लाभ के रूप में गलत तरीके से लेखांकित किया गया था। वर्ष 2016-17 के लिए लेखा में ₹ 467.07 करोड़ के पूंजीगत लाभ के रूप में गलत लेखांकन को 2017-18 के दौरान भी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा योग्य पाया गया था। हालांकि, 2018-19 के दौरान इस संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

⁴² ₹4.76 करोड़ पर 34.61 प्रतिशत की प्रभावी आयकर दर से कर की गणना की गई है।

⁴³ ₹47.56 करोड़ पर 34.61 प्रतिशत की प्रमाणी आयकर दर से कर की गणना की गई है।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2014 में विभिन्न सामान्य और प्रशासन व्ययों के पूंजीकरण के कारण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था और अन्य इक्विटी को ₹ 271.38 करोड़ तक कम बताया गया था। इसे 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अवधि के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उजागर किया गया था और 2017-18 में इस कार्यालय द्वारा इस पर टिप्पणी भी की गई थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
2.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी की लेखांकन नीति के उल्लंघन में अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत प्राप्त ₹ 22.62 करोड़ की राशि का बीमा दावा शामिल है जिसमें बताया गया है कि बीमा कंपनी से प्राप्त दावों को इस तरह के दावों पर बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत के लिए लेखांकित किया जाता है, परिणामस्वरूप वर्ष के लिए उसी राशि तक लाभ के साथ-साथ उसी को अधिक बताया गया।
3.	एयर इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2014 में विभिन्न सामान्य और प्रशासन व्ययों के पूंजीकरण के कारण, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था और अन्य इक्विटी को ₹ 271.38 करोड़ तक कम बताया गया था। इसे 2014-15, 2015-16, 2016-17 की अवधि के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उजागर किया गया था और 2017-18 में इस कार्यालय द्वारा इस पर टिप्पणी भी की गई थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। कंपनी की लेखांकन नीति के उल्लंघन में अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के तहत प्राप्त ₹ 22.62 करोड़ की राशि का बीमा दावा शामिल है जिसमें बताया गया है कि बीमा कंपनी से प्राप्त दावे को इस तरह के दावों पर बीमा कंपनी द्वारा स्वीकृत के लिए लेखांकित किया जाता है, परिणामस्वरूप वर्ष के लिए उसी राशि तक लाभ के साथ-साथ उसी को अधिक बताया गया।
4.	एयर लाइन अलाइड सर्विस लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> कार्यालय उद्देश्यों के लिए कंपनी के कर्मचारियों को दिए गए ₹ 28.90 लाख की अग्रिम नकद राशि और को नकद समतुल्यों के तहत शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नकद और नकद समतुल्यों का अधिक बताया गया और उसी राशि तक अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों को कम बताया गया।
5.	बोकरों पॉवर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2018-19 के लिए ₹ 268.53 करोड़ की राशि को अग्रिम कर में शामिल किया जिसके प्रति ₹ 254.81 करोड़ का प्रावधान किया गया था। भले ही आय कर विभाग द्वारा निर्धारणों को वर्ष 2016-17 तक पूरा कर लिया था, लेकिन अग्रिम कर और इसी अवधि के लिए संबंधित कर प्रावधानों को निर्धारण आदेशों के अनुसार समायोजित नहीं किया गया था। चूंकि इस संबंध में कंपनी द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए वित्तीय विवरणों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

6.	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष के दौरान कंपनी को हस्तान्तरित किए गए जीईएम परियोजना और विभिन्न अन्य संपत्तियों को कंपनी की बुकों में लेखांकित नहीं किया गया था। • अग्रिम के समावेश के कारण अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों को ₹ 24.71 से अधिक बताया गया था, जिन्हें अग्रिम संवितरण के चौथे और पांचवें वर्ष में किए जाने वाले भुगतान से समायोजित किया जाना था। इसके फलस्वरूप, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों को उसी राशि तक कम बताया गया था।
7.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बोन्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने इंड एस के परिवर्तन की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित लागत को अपनाया गया था, सिवाय फ्रीहोल्ड भूमि के जहां उचित मूल्य पर विचार किया गया था। यह इंड एस 101 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, जो चयनात्मक आधार पर मूल्य को आगे ले जाने के उपयोग के लिए प्रदान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को अधिक बताया गया और 2017-18 के वित्तीय विवरणों में ₹ 29.96 करोड़ तक की अन्य इक्विटी के नकारात्मक शेष को कम बताया गया था। पूर्व में इंगित किए जाने के बावजूद, 2018-19 के वित्तीय विवरणों में इस पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
8.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • परिसंपत्तियों का पूंजीकरण जिसेबिक्री के लिए रखा गया था, परिणामस्वरूप ₹ 10.63 करोड़ की सीमा तक अचल संपत्तियों का अधिक पूंजीकरण हुआ और फलस्वरूप मूल्यहास को ₹ 1.88 करोड़ से अधिक वसूल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ से संबंधित लाभ को कम बताया गया था।
9.	एचएलएल इन्फ्राटेक सर्विस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • भले ही कंपनी दिनांक 3 अगस्त 2017 के डीपीई परिपत्र के अनुसार अपने कर्मचारियों को संशोधित वेतन प्रदान करने के लिए योग्य नहीं थी, फिर भी उक्त उद्देश्य के लिए ₹ 7.88 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा देनदारियों को अधिक बताया और उसी राशि तक लाभ को कम बताया गया था।
10.	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अन्य वित्तीय देनदारियों और अन्य इक्विटी के नकारात्मक शेष को वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा ऋणों और उन पर ब्याज को बड़े खाते में डालने के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 2669.40 करोड़ तक अधिक बताया गया था।
11.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (स्टैंड अलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> • इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय के पास कंपनी द्वारा स्टाम्प शुल्क के कम भुगतान से संबंधित विवादित राशि का 50 प्रतिशत होने के कारण जमा ₹ 0.75 करोड़ की राशि को अन्य गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत उसे दर्शाने के बजाय इनवेंटरियों के तहत दर्शाया था। • बैंको के पास जमा की गई ₹ 1.40 करोड़ की राशि को नकद और नकद समतुल्य में 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ सम्मिलित करना, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III (इंड एस) पर दिए गए मार्गदर्शन नोट के विपरीत था, जिसके परिणामस्वरूप गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों

		को कम बताया और ₹ 1.40 करोड़ से वर्तमान परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया था।
12.	आईएफसीआई वेचर कैपिटल फंड लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> सकल ऋण राशि में एक पार्टी से प्राप्त किए गए ब्याज के कारण ₹ 4.65 करोड़ का गलत समायोजन था जिसके प्रति कोई ऋण बकाया नहीं था। इसके अलावा, एक पार्टी से प्राप्त किए गए ₹ 0.81 करोड़ की राशि को समायोजित नहीं किया था जबकि उक्त पार्टी के ऋण खाता को बढ़े खाते में डाल दिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ तक के ब्याज आय को कम बताया गया और ₹ 0.81 करोड़ से व्ययों को अधिक बताया गया था। इसके फलस्वरूप, इस अवधि के लिए नुकसान को अधिक बताया गया था और ऋणों को ₹ 5.46 करोड़ से कम बताया गया था।
13.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सिबिशन सेन्टर लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपोजिशन सेन्टर की विस्तृत डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग और कमिशनिंग सहित वर्ष के दौरान किए गए कार्य के लिए ठेकेदार को देय ₹ 6.88 करोड़ की राशि को मौजूदा देनदारियों में शामिल नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.88 करोड़ से मौजूदा देनदारियों और सीडब्ल्यूआईपी को कम बताया गया है।
14.	इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> परिचालन के पहले वर्ष के दौरान परिचालन नुकसान वहन करने के बावजूद कंपनी ने ₹ 692.41 करोड़ के अपने निवेश की हानि का परीक्षण नहीं किया, जो इंड एस 36 के प्रावधानों के साथ ही कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार नहीं था।
15.	कर्नाटक सोलर पॉवर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> विखण्डन, बर्खास्त और पुनः स्थापना की पूंजीकरण लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में शामिल नहीं किया गया था जो इंड एस 16 के अनुरूप नहीं था। राशि लेखापरीक्षा में परिमाणबद्ध नहीं थी।
16.	केआईओसीएल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवेश के तहत उसी को वर्गीकृत करने के बजाय म्यूच्युअल फंड में निवेश की गई राशि को शामिल करने के कारण नकद एवं नकद समतुल्य को ₹ 42.31 करोड़ तक अधिक बताया गया था। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत उसी को वर्गीकृत करने के बजाय कैपिटल स्पेयर्स को शामिल करने के कारण इन्वेंट्री को ₹ 10.93 करोड़ तक अधिक बताया गया था। मूल्यहास के प्रभाव को डेटा की अनुपलब्धता के कारण परिमाणित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, लेखांकन नीति जो कैपिटल स्पेयर्स की कीमत पर मूल्यांकित की गई थी, वह भी इंड एस 16 के अनुरूप नहीं थी।
17.	राष्ट्रीय राजमार्ग व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने ₹ 34.63 करोड़ की राशि के लिए देयता प्रदान नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार देयता को कम बताया गया और राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना के लिए और रखरखाव और मरम्मत के लिए उक्त राशि तक भारत सरकार के धन को अधिक बताया गया था। अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में असम में निर्माण के लिए लगे एक ठेकेदार से वसूली योग्य ₹ 77.75 करोड़ की राशि को

		<p>शामिल किया जिसमें मुख्यतः ठेके की समाप्ति पर परिनिर्धारित नुकसान को शामिल किया गया, जिसकी वसूली अनिश्चित थी और जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी द्वारा विकसित और अनुरक्षित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार की परिसंपत्तियों थे और बाद में तय किए जानेवाले तौर-तरीकों के अनुसार इसे हस्तांतरित किया जाना था; इस संबंध में निम्नलिखित बातों को देखा गया था: <ol style="list-style-type: none"> (a) अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में ठेकेदारों और सलाहकारों को दी गई अग्रिमों और अन्य अग्रिमों में जुटाई जा रही ₹ 2103.48 करोड़ की राशि और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/विकास के लिए सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण (सीएएलए) के लिए दी गई भूमि अधिग्रहण के लिए जमा राशि को शामिल किया है। चूंकि इन अग्रिमों और जमाओं की प्रकृति कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली राशि की थी, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2103.48 करोड़ में परियोजना के लिए भारत सरकार से अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों और निधियों को अधिक बताया गया था। (b) मौजूदा देनदारियों और अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों को भारत सरकार और कंपनी की स्थापना से संबंधित की ओर से कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं से संबंधित में वर्गीकृत नहीं किया गया था।
18.	नेशनल इन्फॉरमैटिक्स सेंटर सर्विस इंक	<ul style="list-style-type: none"> • एनआईसी क्लॉउड सर्विसेस को बढ़ाने के लिए खरीदी गई ₹ 2.45 करोड़ की राशि सामग्री में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शामिल नहीं किया गया। • व्यापार देय के साथ-साथ व्ययों में वर्ष के दौरान प्राप्त सेवाओं पर व्यय के गैर-समावेश के कारण ₹ 8.80 करोड़ तक कम बताया गया था।
19.	नेपा लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • आरएमडी परियोजना के संबंध में ₹ 17.32 करोड़ की राशि को अन्य दीर्घावधि देनदारियों में शामिल किया गया जो रिपोर्टिंग अवधि से 12 महीने के अन्दर देय थी जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार अन्य अल्पावधि देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
20.	ओएनजीसी पेट्रो एडिसंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • आंशिक रूप से निर्मित हजीरा दाहेज नेफ्था पाइपलाइन का अधिग्रहण करने के लिए ओएनजीसी लिमिटेड को देय राशि को शामिल नहीं करने के कारण मौजूदा देनदारियां और गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों को ₹ 115.44 करोड़ तक कम बताया गया था, जैसा कि 29 मार्च 2019 को किए गए करार के अनुसार आधारित है।
21.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष हेतु प्रावधान के साथ-साथ हानि को अंश प्रावधान अर्थात् इसे पूर्ण रूप से प्रदान करने के बजाय आईएलएंडएफएस तथा इसकी सहायक कंपनियों से देय मूल तथा ब्याज की राशि के 10 प्रतिशत की सीमा तक सृजन की वजह से ₹ 247.72 करोड़ तक कम बताया गया। इसे इस तथ्य के बावजूद नहीं किया

		गया कि एनसीएलएटी की कार्रवाई के अनुसार, उक्त कंपनी को संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया था जिसका तात्पर्य है कि ये कंपनियां वरिष्ठ सिक्क्योरड वित्तीय क्रेडिटों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नहीं थी।
--	--	---

प्रकटन पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयर इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन तथा समेकित वित्तीय विवरण)	<ul style="list-style-type: none"> बिक्री हेतु रखी गई परिसम्पत्तियों के संबंध में टिप्पणी में उन तीन संपत्तियों के संबंध में प्रकटन सम्मिलित नहीं था जिन्हें जमा की गई राशि को वापिस करने के लिए आवंटन प्राधिकरण को रिटर्न हेतु निर्धारित किया गया था। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी की एक सहायक कंपनी ने न तो डीटीए को मान्यता दी तथा न ही इसे मान्यता न देने हेतु कोई प्रकटन किया।
2.	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> नकद प्रवाह विवरण को वित्तीय विवरण के साथ संलग्न नहीं किया गया जोकि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
3.	हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> आकस्मिक देयता में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं थे: मै. आदर्श एचईसी करमचर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा ` 12.72 करोड़ की राशि का दावा किया गया जिसके संदर्भ में झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित था। सेवा कर मामलों के संबंध में मांग पर ` 4.62 करोड़ का देय ब्याज। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत ` 1.06 करोड़ की शास्ति लगाई गई।
4.	इस्कॉन देवेनगरे हवेली हाईवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई ₹ 4.05 करोड़ की राशि के ब्याज तथा अन्य वित्त लागत को इंड एस 7 के उल्लंघन में नकद प्रवाह विवरण में वित्तपोषण गतिविधि से नकद प्रवाह के तहत प्रदर्शित नहीं किया गया। ₹ 131.80 करोड़ की राशि की गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में परिवर्तन को निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत इसे प्रदर्शित करने के बजाय कार्यकारी पूंजीगत परिवर्तनों के समायोजन में प्रदर्शित किया।
5.	इस्कॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में टॉल रोड के निर्माण पर व्यय ₹97.88 करोड़ की राशि सम्मिलित थी तथा जिसे अमूर्त परिसंपत्ति की खरीद/निर्माण के बजाय संपत्ति की खरीद, सीडब्ल्यूआईपी सहित संयंत्र तथा उपकरण के रूप में दर्शाया गया।
6.	इस्कॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने इंड एस-7 के उल्लंघन में वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत अपनी धारण कंपनी को भुगतान किए गए ₹ 52.60 करोड़ की राशि के ब्याज को प्रदर्शित नहीं किया।

		<ul style="list-style-type: none"> • टॉल रोड के निर्माण पर वर्ष के दौरान व्यय किए गए ₹ 44.33 करोड़ को गलत तरीके से निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/निर्माण के बजाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद (सीडब्ल्यूआईपी सहित) के रूप में दर्शाया गया। • कंपनी द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, कंपनी को 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ एनएचएआई को ₹ 20.19 करोड़ प्रतिवर्ष के प्रीमियम का भुगतान करना अपेक्षित था। यह प्रतिबद्धता करार की समयावधि के दौरान ₹ 532.38 करोड़ पर संगणित की गई। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित अनुसार अपनी टिप्पणियों के तहत इस प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाया।
7.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशनस लि.	<ul style="list-style-type: none"> • सलाहकार द्वारा संगणना के अनुसार ₹ 1681.63 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले दहेज सेज को छोड़ने के लिए मई 2018 में लिए गए निर्णय तथा जिसका कंपनी के परिचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, को वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
8.	पवन हंस लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> • इस नीति, कि मालसूची को अप्रचलित तथा अन्य हानियों की व्यवस्था करने के पश्चात कम लागत तथा निवल उगाही योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गया था, को जहां भी आवश्यक समझा जाए, में एक टिप्पणी के मद्देनजर संशोधन की आवश्यकता है जिसमें यह बताया गया हो कि विमानन क्षेत्र में कीमत रुझान अन्य उद्यमों में कीमतों के रुझान की तुलना में भिन्न थी तथा खरीदने से पूर्व हैलीकॉप्टर स्टोर/स्पेयर/उपभोज्य हेतु बिक्री/खरीद कीमत खुले बाजार में सीधे उपलब्ध नहीं था जिसकी वजह से मालसूची की कीमत ने निवल उगाही योग्य कीमत को प्रदर्शित किया। • इस तथ्य कि वीटी-पीएचजेड की घटना हेतु बीमा दावा समय बाधित हो गया था क्योंकि बीमा कंपनी द्वारा इसे अस्वीकार करने को 12 कलेंडर माह के अन्दर विधि न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई, को बीमा दावों से संबंधित टिप्पणी में सम्मिलित नहीं किया गया।
9.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने कुल प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) मुआवजे तथा केएमपी की विभिन्न श्रेणियों हेतु विवरण प्रदर्शित नहीं किया जो इंड एस 24 के प्रावधानों का उल्लंघन था।
10.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष के दौरान भूमि की बिक्री से ₹ 55.23 करोड़ की प्राप्ति तथा इसके उपयोग को नकद प्रवाह विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया। • लेखाओं की टिप्पणियों में इस प्रकटन कि ₹ 55.23 करोड़ की भूमि की बिक्री आय को भारत सरकार को वितरित करना था, ने सही स्थिति को परिलक्षित नहीं किया क्योंकि इस राशि को पहले ही बकाया आयकर देयता के भुगतान हेतु उपयोग किया गया था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> संचित हानि को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ₹ 2098.28 करोड़ की वास्तविक हानि के प्रति ₹ 2078.40 करोड़ के रूप में सूचित किया गया। लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में गुणवत्ता वाले मत पैराग्राफ के आधार का संदर्भ था तथापि, कथित रिपोर्ट में ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं था।
2.	बोकारों पावर सप्लाई कंपनी (पी) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ने यह विवरण सही नहीं था कि संलग्नक में विवरण के अनुसार विधिक तथा मध्यस्थता मामलों के वित्तीय प्रभाव का परिमाण निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि 12 मामलों में से तीन में विवादित राशि का परिमाण निर्धारित था। एक मामले जिसका दिसम्बर 2018 में निपटान किया गया था, को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक में चालू न्यायिक मामले के रूप में दर्शाया गया था। एक चालू न्यायिक मामले को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक में सम्मिलित नहीं किया गया था। इस विवरण में सही स्थिति नहीं दर्शाई गई कि 20 मे.वा. सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को आगे न बढ़ाने के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से पत्र पर कंपनी द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने मामले को दर्ज किया था।
3.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि कंपनी अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित सभी विशिष्टता दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही थी तथा प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अचल परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है तथा कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं देखी गई। इसने आगे कहा कि प्रबंधन द्वारा नियमित अन्तराल पर कंपनी की मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई। तथापि, कोई भी अचल परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों में कोई दस्तावेज/रिपोर्ट नहीं थी कि कंपनी द्वारा अचल परिसंपत्तियों तथा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कमी थी तथा यह कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुवर्ती नहीं थी।
4.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा रिकॉर्ड बुक और प्रत्यक्ष अचल परिसंपत्तियों के बीच कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया

		<p>गया कि प्रबंधन द्वारा नियमित अन्तराल पर कंपनी की मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।</p> <p>तथापि, कोई भी अचल परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अभिलेखों में कोई दस्तावेज/रिपोर्ट नहीं थी कि कंपनी द्वारा अचल परिसंपत्तियों तथा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कमी थी तथा यह कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 के अनुवर्ती नहीं थी।</p>
5.	नेशनल हाईवेएण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों के तहत, ₹ 22.60 करोड़ जिसे भारत सरकार के अलावा अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया था, को भारत सरकार से निधियों के तहत सम्मिलित किया गया।
6.	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख को कंपनी के नाम पर रखा गया था, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के एक भाग में की गई यह टिप्पणी इसी रिपोर्ट में कहीं ओर की गई टिप्पणी के विपरीत थी जिसमें कुछ संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व विलेख/पट्टा विलेख के क्रियान्वयन न होने/उपलब्ध न होने तथा पट्टा राशि को अंतिम रूप न देने को दर्शाया गया था।
7.	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> यह अर्हता औचित्यपूर्ण नहीं थी कि ब्याज व्यय को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से इसके लिए देय सहायक ऋण के साथ वसूली योग्य राशि को वसूल किए बिना प्रदान किया गया था तथा तदनुसार वित्तीय लागत को ₹ 0.27 करोड़ तक कंपनी द्वारा अधिक दर्ज किया गया क्योंकि वसूली योग्य राशि विभिन्न कारकों की वजह से थी जिसके लिए ब्याज की वसूली/भुगतान हेतु कंपनी तथा एनएचएआई के बीच कोई करार नहीं है।
8.	पवन हंस लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह कहा गया कि कंपनी के पास तीन वर्षों की अवधि में मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की नीति थी जो सही नहीं थी क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसी कोई नीति अपनाई नहीं गई थी।

असूचीबद्ध सरकारी नियंत्रण की अन्य कंपनियां

लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस लिमिटेड तथा आईएलएंडएफएस फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी अचल आय प्रतिभूतियों में ₹125 करोड़ रखे थे। आईएलएंडएफएस ने दिसम्बर 2018 में ब्याज तथा फरवरी और मार्च 2019 में मूल राशि का भुगतान करने में चूक की थी। आईएलएंडएफएस ग्रुप के रेटिंग के गिरने तथा अक्टूबर 2018 में भारत सरकार द्वारा बोर्ड का पुनः गठन करने के मद्देनजर, कंपनी इन निवेशों को गैर-कार्यकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के

		<p>रूप में मानने के पश्चात् 50 प्रतिशत अंकित मूल्य अर्थात् ₹ 62.50 करोड़ मूलकीमत निवेश का निर्णय लिया (मई 2019)। तथापि, एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस ग्रुप की इन दोनों कंपनियों को आईएलएंडएफएस कंपनी समूह के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के तहत रखा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सत्व वरिष्ठ सिक्क्योर वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते।</p> <p>उक्त के मद्देनजर निवेश रेटिंग आईसीआरए तथा सीएआरई द्वारा न्यूनतम स्तर 'डी' तक कम की गई थी जिसका तात्पर्य यह है कि इस रेटिंग वाले साधन चूककर्ता थे अथवा उनका शीघ्र ही चूककर्ता होना अपेक्षित था, उक्त के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।</p> <p>शेष 50 प्रतिशत निवेश का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप प्रावधान को ₹ 62.50 करोड़ तक कम बताया गया तथा जिससे इसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।</p>																				
<p>2.</p>	<p>इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</p>	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस ग्रुप कंपनियों के विभिन्न इंस्ट्रुमेंट तथा सत्वों में ₹ 228 करोड़ का निवेश किया। वर्ष के दौरान मूलधन तथा ब्याज में चूक थी तथा कंपनी ने निवेशों के मूल्य में कमी के प्रति ₹ 58.56 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं: <p style="text-align: right;">(आंकड़े ₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="746 1205 1441 1731"> <thead> <tr> <th>सत्व का नाम</th> <th>इंस्ट्रुमेंट</th> <th>निवेशित राशि</th> <th>कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आईएलएंडएफएस लिमिटेड</td> <td>एनसीडी प्रतिभूति</td> <td>118</td> <td>57.56</td> </tr> <tr> <td>आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड</td> <td>अप्रतिभूत वाणिज्यिक पेपर्स</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड</td> <td>अप्रतिभूत एनसीडी</td> <td>10</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td></td> <td>228</td> <td>58.56</td> </tr> </tbody> </table> <p>तथापि, दिनांक 11 फरवरी 2019 को एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस ग्रुप कंपनियों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज को 'रेड' श्रेणी के तहत रखा है जिसका तात्पर्य यह है कि सत्व</p>	सत्व का नाम	इंस्ट्रुमेंट	निवेशित राशि	कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान	आईएलएंडएफएस लिमिटेड	एनसीडी प्रतिभूति	118	57.56	आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत वाणिज्यिक पेपर्स	100		आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत एनसीडी	10	1.00	कुल		228	58.56
सत्व का नाम	इंस्ट्रुमेंट	निवेशित राशि	कंपनी द्वारा किया गया प्रावधान																			
आईएलएंडएफएस लिमिटेड	एनसीडी प्रतिभूति	118	57.56																			
आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत वाणिज्यिक पेपर्स	100																				
आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	अप्रतिभूत एनसीडी	10	1.00																			
कुल		228	58.56																			

		<p>अपनेवरिष्ठ प्रत्याभूत वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते। इन विकासों के मद्देनजर, कंपनी को उक्त दो निवेशों के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। वाणिज्यिक पेपरों में किए गए निवेश के संदर्भ में, यद्यपि, दिनांक 11 फरवरी 2019 के एनसीएलएटी आदेश में आईएलएफएस ऐजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड अवर्गीकृत सत्व की सूची में शामिल हैं, फिर भी यह विचार करते हुए कि ये अप्रत्याभूत इस्ट्रूमेंट है, पूर्ण प्रावधान करना चाहिए।</p> <p>कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 169.44 करोड़ तक निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।</p>
3.	रतनागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> व्यापार देयों तथा उपभोग किए गए ईंधन में दिनांक 29.03.2017 के गैस आपूर्ति करार (जीएसए) के अनुसार गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा उद्ग्रहित वर्ष 2018-19 हेतु बढ़े हुए ट्रांसमिशन प्रभारों के प्रति ₹ 20.73 करोड़ सम्मिलित नहीं थे जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.73 करोड़ तक व्यापार देयताओं को कम, ईंधन व्ययों को कम तथा आकस्मिक देयताओं को अधिक बताया गया।
4.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> मूल/दिलुटेड आय प्रति शेयर को ₹ 3.44 के बजाय ₹ 3.00 के रूप में दर्शाया गया था। पूर्व प्रदत्त व्ययों में कंपनी द्वारा भारतीय रेल को अग्रिम में भुगतान कर गए भूमि पट्टा प्रभार होने के नाते ₹ 31.51 लाख सम्मिलित थे। इनमें से 2016-17 तक की समयावधि से संबंधित ₹ 10.50 लाख के पट्टा प्रभारों को लाभ तथा हानि के विवरण से प्रभारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को ₹ 10.50 लाख तक अधिक बताने के साथ-साथ कर से पूर्व लाभ को इसी राशि तक अधिक बताया गया। <p>शेष में से ₹ 10.50 लाख 2020-21 से संबंधित थे तथा इसलिए इसे चालू परिसंपत्तियों के बजाय गैर चालू परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत करना चाहिए।</p>
5.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने आईएलएंडएफएस के प्रत्याभूत एनसीडी में ₹ 85.09 करोड़ का निवेश किया था जिसमें से इसने निवेश के मूल्य में कमी हेतु ₹ 62.55 करोड़ (74 प्रतिशत) का प्रावधान किया। तथापि, दिनांक 11 फरवरी 2019 के एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस ग्रुप कंपनियों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल ने सत्त्व को 'रेड' श्रेणी में रखा था जिसमें कंपनी उक्त वर्णित निवेश अर्थात् आईएलएंडएफएस धारण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि सत्व वरिष्ठ प्रत्याभूत वित्तीय क्रेडिटर्स के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा

		नहीं कर सकी। इस विकासों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को उक्त निवेश के मूल्य में कमी के प्रति पूर्ण प्रावधान करना चाहिए। कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 22.55 करोड़ तक निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।
6.	स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> मूलधन तथा ब्याज की चूक पर, कंपनी ने आईएलएंडएफएस के एनसीडी में ₹ 55 करोड़ (गैर-लिंक निधियों में ₹ 44 करोड़ तथा लिंक निधियों में ₹ 11 करोड़) के अपने निवेश पर ₹ 7.15 करोड़ का प्रावधान किया था। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध एनसीएलएटी के समक्ष कार्रवाई के अनुसार, आईएलएंडएफएस को आईएलएंडएफएस ग्रुप की कंपनियों के मामलों को प्रबंधित करने के लिए संघ सरकार द्वारा नियुक्त नए निदेशक मंडल द्वारा 'रेड' श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे सत्व वरिष्ठ प्रत्याभूत वित्तीय क्रेडिटों के प्रति भी अपने भुगतान दायित्वों को पूरा नहीं कर सके। इसे अलावा, लेखाओं पर टिप्पणियों में यह प्रकटन किया गया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों आईसीआरए तथा सीएआरई ने आईएलएंडएफएस की रेटिंग 'एएए'से 'डी' तक नीचे की थी। इन विकास को ध्यान में रखते हुए, आईएलएंडएफएस में निवेश की पूर्ण राशि हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 47.85 करोड़ तक निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान को कम तथा लाभ को अधिक बताया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> गैर-चालू निवेशों में ₹ 2.51 करोड़ के दो निवेश सम्मिलित थे जो मार्च 2020 अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह के अन्दर परिपक्व होंगे, इसलिए गैर-चालू निवेश के बजाय चालू निवेश के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
2.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> ₹28.61 लाख के नकद तथा नकद समान (तीन माह से कम परिपक्वता वाले) और ₹ 84.34 करोड़ के अन्य बैंक बकाया (तीन माह से अधिक परिपक्वता वाले) के आंकड़े तुलन पत्र पर आपस में परिवर्तित हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.05 करोड़ प्रत्येक तक नकद तथा नकद समान को अधिक और अन्य बैंक बकाया को कम बताया गया। 12 माह से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि के साथ ₹ 4.49 करोड़ के आवधिक जमा को गलत तरीके से अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों (गैर चालू परिसम्पत्तियों) के बजाय अन्य बैंक बकायों में सम्मिलित किया गया जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III का अननुपालन था। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, जोकि गैर चालू परिसंपत्तियां हैं, की खरीद हेतु दिए गए अग्रिम पूंजीगत अग्रिम हैं। तथापि, सेवाओं और

		<p>उपकरणों एवं संयंत्र की खरीद हेतु दिए गए ₹ 3.45 करोड़ के अग्रिम को अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त को अधिक बताया गया तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों को उसी राशि तक कम बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने डीटीए के ₹ 15.13 करोड़ की राशि कम करने के पश्चात तुलन पत्र में डीटीएल (निवल) के प्रति ₹ 15.42 करोड़ की राशि को मान्यता दी जोकि दर विनियमित कार्यों के लेखांकन पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार नहीं थी जिसने यह अनुबंधित किया कि एक सत्व दर नियमित परिसंपत्तियों तथा देयताओं का समजन नहीं करेगा और यह तुलन पत्र में प्रथम क्रम बंध को प्रस्तुत करेगा।
--	--	--

प्रकटन पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी के जाली दस्तावेजों के आधार पर ₹ 24.25 लाख के ऋण के आवंटन हेतु आईपीसी की धारा 420 तथा 34 के तहत अपने दो उधारकर्ताओं तथा अपने दो पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध 21 सितम्बर 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने के बावजूद, लेखापरीक्षकों ने सूचित किया था कि कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी सूचित नहीं की गई है। यह कंपनी लेखापरीक्षक के रिपोर्ट आदेश (सीएआरओ) नियमावली, 2016 के अनुपालन में नहीं था।
2.	क्रॉस बार्डर पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने 400 केवी मुज्जफरपुर - सरसंद डी/सी ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार हेतु एआईएस उप-स्टेशन पैकेज हेतु माल एवं सेवा ठेके की आपूर्ति हेतु ठेको की राशि के प्रति ₹ 5.71 करोड़ की पूंजीगत प्रतिद्धता को प्रदर्शित नहीं किया जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।
3.	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने इंड एस 7 के उल्लंघन में वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत उनसे लिए गए ऋण के प्रति विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको को भुगतान किए गए ₹ 97.10 करोड़ के ब्याज को प्रदर्शित नहीं किया। • निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में एक मद 'पूंजीगत अग्रिमों सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय' सम्मिलित थी जिसे 'अमूर्त परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। • नकद तथा नकद समतुल्य के तहत बैंक के पास शेष में निलम्ब लेखों से संबंधित ₹ 7.78 करोड़ की राशि की निर्धारित निधि सम्मिलित थी। इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत अपेक्षित अनुसार पृथक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया था।
4.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अन्य बैंक शेषों और नकद समतुल्य के समावेश की वजह से आदि शेष नकद तथा नकद समतुल्यों को ₹ 20.02 लाख

		<p>तक अधिक तथा अन्तः नकद और नकद समतुल्यों को ₹ 21.31 लाख तक अधिक बताया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • इंड एस-17 के उल्लंघन में, कंपनी ने 33 वर्षों की अवधि हेतु स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में आगामी न्यूनतम भुगतान को प्रदर्शित नहीं किया।
5.	स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • अंतरिम लाभांश के संबंध में टिप्पणी में ₹ 3.24 करोड़ की प्रस्तावित लाभांश राशि के संबंध में प्रकटन सम्मिलित नहीं था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्र. सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में 31 मार्च 2019 तक टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के 9.43 प्रतिशत एनसीडी में ₹ 10 करोड़ के निवेश के विषय में वर्णन नहीं किया गया था जो भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियमन, 2002 की अनुसूची 'सी' के पैरा-4 के उल्लंघन में था।
2.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • भले ही कंपनी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण के आवंटन हेतु अपने दो उधारकर्ताओं तथा अपने दो पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी फिर भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट आर्डर (सीएआरओ) नियमावली 2016 के तहत अपनी रिपोर्ट में किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं थी।
3.	कृष्णापटनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षक द्वारा बनाई गई यह अर्हता की कंपनी ने गलत तरीके से ₹ 306.38 लाख के कार्यालय भवन का पूजीकरण किया था तथा इस पर ₹ 32.16 लाख का मूल्यहास प्रदान किया था जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण को ₹ 306.38 लाख तक अधिक तथा सीडब्ल्यूआईपी को उसी सीमा तक कम तथा मूल्यहास को भी ₹32.16 लाख तक अधिक तथा लाभ को उसी सीमा तक कम बताया गया, गलत थी क्योंकि कार्यालय भवन को कंपनी द्वारा अक्टूबर 2014 में उपयोग हेतु तैयार स्थिति में खरीदा था।
4.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रिज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षक की 17.04.2019 की रिपोर्ट को 24.05.2019 को तथा पुनः 25.06.2019 को संशोधित करने हेतु कारण को संशोधित रिपोर्टों में सम्मिलित नहीं किया गया था।
5.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • यह प्रमाणन कि पॉलिसी धारकों की निधियों की परिसंपत्तियों का कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रयोग नहीं किया गया था, गलत था क्योंकि कंपनी ने 31.3.2019 तक टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित ब्याज बांड में ₹ 63.29 करोड़ का निवेश किया था जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 धारा 27ए (4) के तहत निषिद्ध था।
6.	स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • यह प्रमाणन कि नीति धारकों की निधियों की परिसंपत्तियों का कोई भी भाग प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुप्रयोग नहीं

		किया गया था, गलत था क्योंकि कंपनी ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड में निर्धारित ब्याज बांड में ₹ 60 करोड़ का निवेश किया था जो बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 धारा 27ए (4) के तहत निषिद्ध था।
--	--	--

2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, के संबंध में सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

- कार्गो परिचालन तथा मूल्यहास से संबंधित मूर्त अचल परिसंपत्तियों को एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसिज कंपनी लिमिटेड को इन परिसंपत्तियों को हस्तांतरित न करने की वजह से क्रमशः ₹ 9.44 करोड़ तथा ₹ 2.67 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके फलस्वरूप, प्राप्यों को ₹ 12.11 करोड़ तक कम बताया गया।
- मूर्त अचल परिसंपत्तियों को एक परिसंपत्ति (सी-एटीएफएम) की गलत पूंजीकरण तिथि लेने के कारण मूल्यहास के कम प्रभारित होने की वजह से ₹ 16.39 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके फलस्वरूप, इसी सीमा तक लाभ को अधिक बताया गया।
- सीडब्ल्यूआईपी को निम्नलिखित पूर्ण कार्य का पूंजीकरण न होने की वजह से ₹ 138.30 करोड़ तक अधिक बताया गया:

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i.	लखनऊ एयरपोर्ट पर 19.07.2018 को पूर्ण डीवीआर प्रणाली	0.25
ii.	11 परिसंपत्तियां पूर्ण की गईं तथा लेह एयरपोर्ट पर अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार थी	4.26
iii.	गोवा एयरपोर्ट पर स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ।	21.56
iv.	गुवाहटी एयरपोर्ट पर रनवे कार्य की री-कारपेटिंग	41.09
v.	इम्फाल एयरपोर्ट पर एप्रेन तथा लिंक टैक्सी मार्ग का विस्तार कार्य	8.94
vi.	शिलांग तथा तेजु एयरपोर्ट पर उपकरण	5.01
vii.	अगरतला एयरपोर्ट पर नए स्थान के लिए उपकरण की शिफ्टिंग पर किया गया व्यय	1.44
viii.	खजुराहो एयरपोर्ट पर 27.03.2019 को चालू क्रैश फायर टैंडर	5.27

ix.	जीएसएटी-15 के समेकन तथा जीएएमईएस (गगन मैसेज सिस्टम) के क्रियान्वयन पर किया गया व्यय	40.63
x.	शेष कार्य चरण-I में पूरा हुआ, सी-एटीएफएम 26.11.2015 को पूरा हुआ।	9.85
	कुल	138.30

- सीडब्ल्यूआईपी को टर्निंग पेड 27 को चौड़ा करने तथा टैक्सी के फाइलेट/शॉल्डर को चौड़ा करने से संबंधित पूंजीगत कार्य की वजह से ₹ 7.17 करोड़ तक कम बताया गया जिसे गलत तरीके से राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया गया था।
- जेवीसी/अनुषंगी कंपनियों से देयों को 2017-18 तथा 2018-19 की समयावधि के दौरान निर्मित कार्गो सेंगमेंट परिसंपत्तियों पर संचित मूल्याह्रास के कारण ₹ 3.10 करोड़ तक कम बताया गया और 31.3.2019 तक एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसिज कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया।
- वर्ष 2018-19 के दौरान मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से प्राप्त अधिक पट्टा राजस्व के प्रति एयरपोर्ट पट्टा राजस्व को अधिक तथा देयताओं को ₹ 10.75 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप लाभ को इसी राशि तक अधिक बताया गया।
- संबंधित परियोजना व्ययों के साथ मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आय का समंजन न करने की वजह से अन्य आय को ₹ 5.81 करोड़ तक अधिक बताया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (2017-18)

- अचल परिसंपत्तियों के तहत 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों (पूर्ण एवं चालू)' के प्रकटन की वजह से एनएचआई की अचल परिसंपत्तियों को ₹ 2,85,643.72 करोड़ तक अधिक बताया गया।
- वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 6890.24 करोड़ की उधार लागत की सम्पूर्ण राशि को 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' के तहत बुक किया गया जिसमें पूर्ण परियोजनाओं के संदर्भ में उधार लागत भी सम्मिलित थी जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन था। चालू तथा पूर्ण परियोजनाओं के संदर्भ में परियोजना वार ब्यौरों के अभाव में, इसका मात्रा निर्धारण तथा सत्यापन संभव नहीं था।
- एनएचआई ने लाभ तथा हानि खाते में राजस्व प्रकृति के व्यय की बुकिंग के बजाय 'वर्ष हेतु निवल स्थापना व्यय' की ₹ 392.26 करोड़ की सम्पूर्ण राशि का पूंजीकरण कर दिया। ऐसे व्यय के परियोजना-वार ब्यौरों के अभाव में, लेखापरीक्षा एनएचआई की वजह से ऐसे गलत लेखांकन के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ थी।

- यद्यपि भारत सरकार की ओर से किए गए व्यय के साथ ₹ 1383.01 करोड़ की राशि की 19 परियोजनाओं की लागत को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया गया, फिर भी लेखा बहियों में कोई समायोजन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसी राशि तक 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को अधिक बताया गया।
- 56 परियोजनाएं ऐसी थी जिन्हें राज्य सरकारों/लोक निर्माण कार्य विभागों तथा अन्य विभागों से एनएचएआई द्वारा लिया गया था। तथापि, प्राप्त की गई इन परियोजनाओं की ₹ 767.29 करोड़ के आरंभिक मूल्य को सम्मिलित नहीं किया गया जिसकी वजह से 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को ₹ 767.29 करोड़ तक कम बताया गया।
- टॉल संग्रहण गतिविधियों पर व्यय को भारतीय हाईवे प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक की अवधि हेतु देय छूट (कैश बैक) तथा फीस संग्रहण प्रभारों के प्रति प्रावधान न होने की वजह से ₹ 124.99 करोड़ तक कम बताया गया।
- सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार, अप्रयुक्त पूंजी पर अर्जित ब्याज की राशि एनएचएआई का राजस्व नहीं था तथा इसीलिए इसे भारत सरकार को देय राशि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था जिसकी वजह से एनएचएआई की लेखांकन नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता थी। इस मामले को वर्ष 2016-17 के दौरान भी उठाया गया परन्तु इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
- 31 मार्च 2018 तक, विभिन्न ऋणों के प्रति ₹ 1,22,524.15 करोड़ की राशि को देय के रूप में दर्शाया गया था। तथापि, इसकी स्वयं की नियमावली के उल्लंघन में, एनएचएआई ने 2015-16 तथा 2016-17 हेतु एनएचएआई के लेखाओं पर समान टिप्पणी करने के बावजूद इन ऋणों को चुकाने हेतु आरक्षित निधि सृजित नहीं की।
- आठ विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों को आवंटित ऋण राशि पर वर्ष 2017-18 के दौरान प्रोद्भूत ₹ 129.84 करोड़ के ब्याज को 'अचल परिसंपत्ति - भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्ति' से कम किया गया था जिसे वास्तव में लाभ तथा हानि खाते में प्राधिकरण की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' तथा वर्ष हेतु आय को ₹ 129.84 करोड़ तक कम बताया गया।
- 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को मध्यस्थता अधिकरण अवॉर्ड्स के प्रति ठेकेदारों/रियायतग्रहियों को 75 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान को शामिल करने के आधार पर ₹ 237.16 करोड़ तक अधिक बताया गया था जिसे विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई, जो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) के निर्णय

(5 सितम्बर 2016) के अनुसार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण तथा अग्रिमों को भी समान राशि तक कम बताया गया।

- 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को स्टॉफ के लिए आवास और दूसरे कार्यालय के लिए भवन जो एनएचएआई की परिसंपत्तियां थी, को शामिल करने के आधार पर ₹79.71 करोड़ तक अधिक बताया गया। इसके परिणामस्वरूप 'सीडब्ल्यूआईपी अचल परसंपत्तियों' को भी कम बताया गया।
- भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चरण-IV के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को एनएचएआई द्वारा जारी ₹1194.84 (₹ 76.63 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित) करोड़ सम्मिलित थे। तथापि, इन परियोजनाओं को एनएचएआई द्वारा न तो हस्तांतरित किया गया न ही धारित किया गया। इसलिए, 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' के तहत इन परियोजनाओं के संदर्भ में एनएचएआई द्वारा राज्य सरकार को जारी राशि दर्शाना सही नहीं था तथा इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा धारित अचल-परिसंपत्तियों-परिसंपत्तियों को ₹1118.21 करोड़ तक तथा चालू परिसंपत्तियों और ऋणों एवं अग्रिमों को ₹76.63 करोड़ तक अधिक बताया गया।
- इस तथ्य के बावजूद कि तीन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे कॉ. लि. (एवीईएक्ससीएल), मोरादाबाद टॉल रोड कॉ.लि. (एमटीआरसीएल) तथा कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (सीपीआरसीएल) को दिए गए ₹ 253.28 करोड़ के ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा इन तीनों कंपनियों को बन्द करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, एनएचएआई ने कथित राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जिसके फलस्वरूप 'जमा, ऋण तथा अग्रिमों' को ₹ 253.28 करोड़ तक अधिक तथा इसी सीमा तक वर्ष हेतु हानि को कम बताया गया।
- प्रीमियम के युक्तियुक्तकरण की नीति के अनुसार, एनएचएआई ने 20 राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में रियायतग्राहियों से वसूलीयोग्य ₹9331.87 करोड़ की राशि के प्रीमियम को स्थगित किया। तथापि, इसमें ₹3791.04 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, जो 2014-15 से 2017-18 तक से संबंधित थी जिसे वसूलीयोग्य दर्शाया जाना चाहिए था। इसके फलस्वरूप भारत सरकार की देयताओं-भुगतानयोग्य राशि को तथा प्राप्य दावे को ₹3791.04 करोड़ तक कम बताया गया।
- चालू देयताओं को निम्नलिखित के प्रति देयताओं का प्रावधान न होने/कम होने की वजह से ₹ 5029.70 करोड़ तक कम बताया गया:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i.	मध्यस्थता अँवार्ड के अनुसार भूमि खोने वालों को देय 3डी अधिसूचना/3जी अँवार्ड जारी करने के बावजूद भूमि के अधिग्रहण हेतु देय मुआवजा	4646.88
ii.	निष्पादित निर्माण कार्य के संदर्भ में ठेकेदारों/रियायतग्राहियों को देय राशि	231.27
iii.	यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु ठेकेदार/रियायतग्राही को देय राशि	7.24
iv.	निष्पादित पर्यवेक्षण कार्य के संदर्भ में सलाहकारों को देय राशि	2.30
v.	रियायतग्राहियों/ठेकेदारों द्वारा विलम्बित भुगतान पर टॉल/ब्याज के कम प्रेषण के संदर्भ में भारत सरकार को देय राशि	21.42
vi.	बीओटी टॉल परियोजनाओं पर प्रीमियम के संदर्भ में भारत सरकार को देय राशि	7.15
vii.	निष्पादित अनुरक्षण कार्य हेतु ठेकेदारों को देय राशि	7.73
viii.	विधिक व्यय/मध्यस्थता/न्यायालय अँवार्ड की वजह से देय राशि	2.79
ix.	व्यवहार्य गेप फंडिंग (वीजीएफ) के 2 ^र शेयर हिस्से की वजह से रियायतग्राही को देय राशि	85.06
x.	टॉल प्लाजा के सस्पेंशन के दौरान ऋण तथा ओएंडएम व्ययों पर ब्याज की वजह से देय राशि	15.36
xi.	54 ईसी बांड के प्रति प्राप्त अनुप्रयोग धन पर मार्च 2018 माह हेतु ब्याज	2.50
	कुल	5029.70

- वसूली योग्य राशि को चरण IV तथा एनएच-17 की 32 परियोजनाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकार की एजेंसियों को किए गए भुगतान के प्रति सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय से वसूलीयोग्य के रूप में मानी गई राशि होते हुए इस तथ्य के बावजूद ₹ 8622.91 करोड़ तक अधिक बताया गया कि मंत्रालय ने भुगतान हेतु पहले ही मना कर दिया था (जून 2018)।
- लेखाबहियों में वर्णित अनुसार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्प्रेसवे पर जमा तथा व्यय की गई राशि सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को एनएचएआई द्वारा प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाती थी जिसे इसी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। टिप्पणियों के अनुसार जमा की गई राशि ₹ 800.25 करोड़ थी जबकि स्टेटस रिपोर्ट में यह राशि ₹ 937.92 करोड़ थी। इसी प्रकार, टिप्पणियों के अनुसार व्यय की गई राशि ₹ 5115.18 करोड़ थी जबकि स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार यह राशि ₹ 5357.75 करोड़ थी।
- लाभ एवं हानि खाते के बजाय पूंजीगत खाते के प्रति राजमार्ग के अनुरक्षण पर अनुरक्षण अनुदान तथा किए गए व्यय के समायोजन की वजह से, शेयर धारक की

निधि-निधि पूंजीगत के साथ-साथ वर्ष हेतु हानि को ₹ 891.14 करोड़ तक कम बताया गया। वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 हेतु दर्शाए जाने के बावजूद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

- एनएचएआई ने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के अनुमोदन के अनुसार सुस्त परियोजनाओं के रियायतग्राहियों को एक मुश्त निधि सम्मिश्रण के रूप में ₹ 893.44 करोड़ की राशि वितरित की। बैंक दर जमा 2 प्रतिशत के ऋण आधार पर उक्त राशि के अनुदान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। तथापि, लेखाबहियों में ब्याज को मान्यता नहीं दी गई।

इनलैंड वाटरवेज अथोरिटी ऑफ इंडिया (2017-18)

- ₹41.98 करोड़ के निवल मूल्य पर पट्टा भूमि की बुकिंग तथा पट्टा किराए के रूप में ₹3.89 करोड़ को प्रभारित करने के कारण, सकल ब्लॉक को ₹3.89 करोड़ तक कम बताया गया।
- परिचालनात्मक तथा अनुरक्षण व्यय के तहत 2017-18 के दौरान जल मार्ग विकास परियोजना पर व्यय की गई राशि के समावेश की वजह से सीडब्ल्यूआईपी को ₹23.95 करोड़ तक कम बताया गया। इसके फलस्वरूप, घाटे को इसी राशि तक अधिक बताया गया।
- विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक करार (मार्च 2009) के माध्यम से म्यांमार के सिट्वे पोर्ट को भारत में मिजोरम राज्य से जोड़ने वाली कलदन नदी पर मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सुविधा के क्रियान्वयन हेतु संचालित की जा रही कलदन परियोजना हेतु परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में एक प्राधिकारी नियुक्त किया। परियोजना कार्य प्रगति पर है। परियोजना से संबंधित वित्तीय लेन-देनों के संबंध में टिप्पणी में प्रकटन को प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि प्राधिकारी ने वर्ष 2017-18 हेतु कलदन परियोजना की पृथक लेखाबहियां बनाई थी तथा उक्त परियोजना के लेखों के घटकों को वर्ष 2017-18 हेतु प्राधिकारी के लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया था। यह मामला 2016-17 के दौरान भी उठाया गया परन्तु प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

2.6 लेखांकन मानको/इंडएसके प्रावधानों का अननुपालन

कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 तथा 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय

लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) अधिसूचित किए। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि परिशिष्ट-XX में ब्यौराबद्ध 27 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंडएएस का पालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने लेखांकन मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानक/इंड एएस		कंपनी का नाम	विचलन
इंड एएस 1	इक्विटी में परिवर्तन	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> आरक्षित तथा अधिशेष और 'अन्य इक्विटी' के तहत अन्य व्यापक आय सहित प्रत्येक घटक हेतु पृथक समेकन नहीं दर्शाया गया।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> परिसंपतियों के अंकित मूल्य जिसका निपटान किसी नकद प्रवाह से नहीं किया गया, को नकद प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों के तहत सम्मिलित किया गया था। आवधिक जमा, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक थी, को निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह के बजाय नकद तथा नकद समतुल्य के तहत सम्मिलित किया गया।
		इरकॉन देवेनगोरेहवेरी हाईवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> ब्याज तथा अन्य वित्त लागत को वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत दर्शाया नहीं गया। गैर-चालू वित्तीय परिसंपतियों में परिवर्तन को निवेश गतिविधियों से प्रवाह के तहत इसे प्रदर्शित करने के बजाय कार्यकारी पूंजी परिवर्तनों के समायोजन में दर्शाया गया।
		इरकॉन पीबी टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह में टॉल रोड के निर्माण पर व्यय की गई राशि सम्मिलित थी जिसे अमूर्त परिसंपतियों की खरीद/विनिर्माण के बजाय सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र तथा

			उपकरण की खरीद के रूप में दर्शाया गया था।
		इरकॉन शिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत अपनी धारण कंपनी को भुगतान की गई ब्याज राशि को प्रकट नहीं किया। • टॉल रोड के निर्माण पर व्यय की गई राशि को गलत तरीके से निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/निर्माण के बजाय संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण (सीडब्ल्यूआईपी सहित) की खरीद के रूप में दर्शाया गया।
		कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न राष्ट्रीकृत बैंको को उनसे लिए गए ऋण के प्रति भुगतान किए गए ब्याज को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के तहत प्रकट नहीं किया गया। • निवेश गतिविधि से नकद प्रवाह में पूंजीगत अग्रिमों सहित अचल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय सम्मिलित था जिसे अमूर्त परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।
इंड एस 8	लेखांकन नीति, लेखांकन आकलनों तथा त्रुटियों में परिवर्तन	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व वर्षों से संबंधित त्रुटि का लेखांकन पूर्व अवधि की आय के रूप में किया गया जो इंड एस के अनुसार नहीं था।
		हॉटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्व वर्षों के लिए प्रदत्त ब्याज को चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि के व्यय के रूप में बुक किया गया।
इंड एस 12	आयकर	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसिज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने न तो डीटीए की पहचान की और न ही इसकी पहचान न करने हेतु कोई प्रकटन किया।
इंड एस 17	पट्टा	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 33 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर ली गई भूमि के संदर्भ में आगामी न्यूनतम भुगतान को प्रकट नहीं किया गया।
इंड एस 20	आय प्रति शेयर	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को अन्य आय के रूप में इसे दर्शाने के बजाय अन्य परिचालन आय के तहत दर्शाया गया।

इंड एस 36	परिसंपतियों की हानि	इरकॉनशिवपुरी गुना टॉलवे लिमिटेड	• निवेश की क्षति जांच नहीं की गई थी।
इंड एस 101	भारतीय लेखांकन मानकों को प्रथम बार अपनाना	हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड	• इंड एस के ट्रांजिशन की तिथि पर परिसंपतियों की मानी गई लागतको चयन आधार पर अपनाया गया था।
इंड एस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	इरकॉनपीबी टॉलवे लिमिटेड	• विनिर्माण ठेके से राजस्व को परिचालन राजस्व के तहत इसे प्रदर्शित करने के बजाय अन्य परिचालन राजस्व के रूप में प्रकट किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम सत्व के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थी। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियां सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को भी बताई गई थी। इस वर्ष के दौरान, सीएजी द्वारा 155 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए गए (परिशिष्ट XXI)। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थी।

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू करना और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते थे; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबन्धन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।